



IndianOil

इंडियनऑयल

CIN : L23201MH1959GOI011388



IndianOil

विपणन प्रभाग

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, इंडियन ऑयल भवन, 1, श्री अरबिंदो मार्ग, यूसुफ सराय, नई दिल्ली, दिल्ली 110016

रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने हेतु नोटिस

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मसूरी में आईओसीएल अधिकारियों के हॉलिडे होम के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त संपत्तियों (बंगला / स्वतंत्र भवन / आवश्यक बुनियादी ढांचे, सुविधाओं आदि वाली कोई अन्य उपयुक्त संपत्ति) के लिए लीज समझौते में प्रवेश करने के लिए इच्छुक पार्टियों से उद्घरण आमंत्रित करता है। इच्छुक आवेदक न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस ईओआई में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक.1) में अन्य अनिवार्य अनुलग्नकों (अनुलग्नक 2 और 3) के साथ कोटेशन भेज सकते हैं।

टिप्पणी: इस ईओआई का उद्देश्य लागू पक्षों से कोटेशन मांगना है और इसका यह मतलब नहीं है कि पार्टी योग्य है और/या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड/इंडियन ऑयल (को काम देने के लिए बाध्य करेगी। मसूरी में आईओसीएल ऑफिसर्स हॉलिडे होम के लिए संपत्ति का अंतिम चयन आईओसीएल दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक निविदा के माध्यम से किया जाएगा और सभी संभावित आवेदकों को सार्वजनिक निविदा में भाग लेने के लिए सरकारी ई मार्केटप्लेस (जीईएम) प्लेटफॉर्म <https://gem.gov.in/> पर खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है।

आवेदकों के लिए अपने कोटेशन प्रस्तुत करने/भेजने के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड- इच्छुक पक्ष, नीचे दी गई डेटा शीट के अनुसार बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और इस दस्तावेज़ में बताई गई अन्य आवश्यकताओं के अनुसार, वे अपने उद्घरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्र. सं.	विवरण	आवश्यक सुविधाएं/सुविधाएं
1	आईओसीएल हॉलिडे होम के लिए आवश्यक संपत्ति का प्रकार	स्वतंत्र बंगला / स्वतंत्र होम स्टे / स्वतंत्र भवन / किसी भवन का भाग / सभी कमरों और सामान्य सेवा क्षेत्रों के साथ कॉटेज आसन स्थिति में / किसी होटल का भाग / एक ही परिसर में नोट-सभी कमरे एक ही इमारत में या कई इमारतों/कॉटेज में होने चाहिए बशर्ते कि सभी इमारतें/कॉटेज एक ही परिसर में स्थित हों। यदि संपत्ति में IOCL की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक कमरे हैं तो IOCL को दिए जाने वाले विशिष्ट कमरों का उल्लेख EOI प्रस्ताव में किया जाएगा।
2	स्वामित्व स्थिति	जिस व्यक्ति के पास स्पष्ट विक्रय योग्य अधिकार, शीर्षक हित अर्थात् संपत्ति का पूर्ण स्वामी है, वह तत्काल EOI के संबंध में आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यदि संपत्ति स्थायी पट्टे पर है या प्रस्तावित संपत्ति इस EOI के जारी होने की तिथि से कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए सक्रिय पट्टे पर है तो वह भी विषय EOI के लिए आवेदन कर सकता है।
3	संचालन हेतु लाइसेंस/परमिट	सभी आवश्यक वैधानिक लाइसेंस/परमिट (जैसे व्यापार लाइसेंस, मंजूरी, जलापूर्ति एवं सीवरेज निपटान परमिट, वाणिज्यिक आधार पर हॉलिडे होम जैसी संपत्तियों के संचालन एवं रखरखाव के लिए अनुमोदन आदि) प्राप्त करना एवं उन्हें वैध बनाए रखना इच्छुक पक्षों की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।
4	संपत्ति का स्थान	मसूरी नगर निगम सीमा के भीतर (सड़क 4 पहिया वाहनों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए)
5	आवश्यक कमरों की संख्या	08 (आठ) डबल बेड वाले कमरे संलग्न बाथरूम के साथ।
6	संपत्ति में यह होना चाहिए	- भोजन कक्ष - भंडारण क्षेत्र के साथ रसोईघर (होटल के भाग के मामले में लागू नहीं) - रिसेप्शन क्षेत्र
7	बिजली कनेक्शन और पानी का भंडारण	- परिसर में इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त बिजली कनेक्शन और पर्याप्त जल भंडारण होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर वास्तविक लोड आवश्यकता के अनुसार लोड बढ़ाया जाना चाहिए। - भवन में पूर्ण विद्युत बैक-अप व्यवस्था होनी चाहिए अथवा चयन के आधार पर इसे उपलब्ध कराने का दायित्व लेना चाहिए।
8	पार्किंग की जगह	न्यूनतम 08 (आठ) चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थान अधिमानतः परिसर के भीतर ही होना चाहिए। यदि परिसर के भीतर आवश्यक पार्किंग स्थान उपलब्ध नहीं है तो संपत्ति के नियंत्रण में कोई भी पार्किंग स्थान लेकिन संपत्ति से लगभग 100 मीटर के भीतर भी स्वीकार्य होगा।
9	फर्नीचर, फिक्सचर और सुविधाएं	संपत्ति के प्रत्येक कमरे/सामान्य सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाएं/सेवाएं होनी चाहिए: 1. प्रत्येक कमरे में फर्नीचर और फिक्सचर, बिस्तर (डबल) और बिस्तर, रखरखाव, देखभाल, हाउसकीपिंग, बिजली, पानी की आपूर्ति, केबल टीवी आदि। सभी कमरों में संलग्न बाथरूम होना चाहिए और सभी बाथरूम में दर्पण, शॉवर, पानी के नल, शौचालय, गीजर आदि के साथ वॉश बेसिन होना चाहिए। 2. प्रसाधन सामग्री और कमरे में अन्य सुविधाएं: i. प्रसाधन सामग्री (नहाने का साबुन, शैम्पू, नारियल तेल, टैल्कम पाउडर, मॉइस्चराइज़र, दूध पेस्ट, दूध ब्रश, कंधी, शॉवर कैप, डिस्पोजेबल सेविंग रेज़र)- आगमन पर प्रत्येक कमरे में अतिथि को एक सेट प्रदान किया जाएगा। ii. प्रत्येक कमरे में प्रतिदिन एक लीटर मिनरल वाटर की दो बोतलें प्रदान की जाएंगी। iii. अतिथि के आगमन पर प्रत्येक कमरे में दो जोड़ी डिस्पोजेबल चप्पलें प्रदान की जाएंगी। iv. कमरे में पर्याप्त संख्या में चाय/कॉफी/चीनी के पाउच और कप और सॉसर के साथ इलेक्ट्रिक टी मेकर। 3. नि:शुल्क वाई-फाई कनेक्शन। 4. रूम हीटर / बेड वार्मर / सीलिंग फैन - विशिष्ट डेटा शीट के अनुसार। 5. सीलिंग फैन / एयर कंडीशन (स्थानीय जलवायु के अनुसार आवश्यक हो तो) 6. प्रत्येक कमरे में उचित आकार का रंगीन टीवी (केबल कनेक्शन के साथ) होगा (सभी क्षेत्रीय चैनल, मानक बच्चों के चैनल और मानक समाचार, खेल और मनोरंजन चैनल)। 7. रिसेप्शन और पेंट्री दोनों से संपर्क करने के लिए इंटरकॉम टेलीफोन सुविधा। 8. फर्नीचर और फिक्सचर का नियमित रखरखाव। यदि कोई फर्नीचर/फिक्सचर IOCL द्वारा अप्रचलित या अनुपयोगी माना जाता है तो उसे बदलना। 9. शौचालय में गीजर/केन्द्रीय गर्म पानी के साथ चौबीस घंटे चलने वाला पानी। 10. पावर बैकअप व्यवस्था (यूपीएस/जेनरेटर) के प्रावधान के साथ कमरों में निरंतर बिजली की आपूर्ति। 11. बाथरूम सहित कमरों की उचित सफाई और प्रतिदिन लिनन आदि बदलना। 12. पूरक अंग्रेजी/हिंदी समाचार पत्र। 13. समर्पित स्वागत डेस्क। 14. सुसज्जित सजावट के साथ भोजन क्षेत्र। - संपत्ति और उपर्युक्त साज-सज्जा का रखरखाव संपत्ति के मालिक की जिम्मेदारी होगी
10	आवश्यक सुविधाएं	- कमरों के सभी आवश्यक सिविल कार्य की व्यवस्था संपत्ति मालिक को स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी। - संबंधित कमरों के संलग्न शौचालयों में 24x7 गर्म और ठंडे पानी की आपूर्ति होनी चाहिए या तो व्यक्तिगत गीजर के माध्यम से या केंद्रीकृत जल तापन प्रणाली के माध्यम से, इसके अलावा सौर गीजर (यदि उपलब्ध हो) भी होना चाहिए। सौर गीजर की उपलब्धता वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं।

		<ul style="list-style-type: none"> सभी विद्युत फिटिंग, फिक्सचर और उनके रखरखाव की व्यवस्था होटल मालिक को अपने खर्च पर करनी होगी। सभी सैनितरी फिटिंग और उनके रखरखाव की व्यवस्था होटल मालिक को अपने खर्च पर करनी होगी। सभी कमरों में नि:शुल्क इंटरनेट/वाई-फाई सुविधा (न्यूनतम 4जी स्पीड)। सामान्य शौचालय सहित 5 चालकों के लिए शयनगृह। पर्याप्त लोड वाली 1 वॉशिंग मशीन उपलब्ध होनी चाहिए। संपत्ति के मालिक को संपत्ति की पूर्ण सीसीटीवी कवरेज सुनिश्चित करनी होगी तथा इसकी पहुँच केवल इंडियन ऑयल तक ही होनी चाहिए।
11	सुविधा प्रबंधन के लिए मेनपावर की तैनाती	<ul style="list-style-type: none"> मालिक को संतोषजनक देखभाल, हाउसकीपिंग, भोजन कक्ष और कमरों में भोजन सेवाएं तथा मेहमानों के आरामदायक रहने के लिए सुरक्षा सहित अन्य संबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त और सक्षम जनशक्ति तैनात करनी होगी। टिप्पणी- आवेदकों द्वारा उद्घृत मासिक शुल्क में सभी उपरिव्यय शामिल होंगे, जिसमें स्वामी द्वारा आंकलित आवश्यकता के अनुसार पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर मेनपावर इत्यादि की तैनाती के लिए शामिल सभी उपभोग्य वस्तुएं, वेतन और अन्य संबद्ध लागतें शामिल होंगी। कामगारों की संख्या का आकलन और उन्हें काम पर रखना, कामगारों की तैनाती से जुड़े नियमों और विनियमों और अधिनियमों का पालन करना (कामगार मुआवजा, पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेजुटी, छंटीनी आदि, जैसा भी लागू हो) मालिक की पूरी जिम्मेदारी होगी। हालांकि भुगतान पूरे महीने और सभी कमरों के लिए किया जाएगा (चाहे सेवा वास्तव में कितनी भी रातों के लिए ली गई हो), संपत्ति मालिक के कब्जे में बनी रहेगी। इसका मतलब है कि आईओसीएल संपत्ति का कब्जा नहीं लेगा और मालिक सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार सेवाएं प्रदान करने के लिए या इससे जुड़े कामगारों के लिए मुख्य नियोक्ता बना रहेगा। इसके अलावा ऐसे कार्मिकों के वेतन/मजदूरी/अन्य आकस्मिक लागतों की दरों में किसी भी वृद्धि के लिए आईओसीएल द्वारा कोई मुआवजा/भुगतान नहीं किया जाएगा। देखभाल, हाउसकीपिंग और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए तैनात कार्मिक सम्य वृद्धि में होंगे। भोजन का शुल्क सीधे मेहमानों से वसूला जाएगा। जहाँ तक संभव हो, मालिक मेहमानों से देय शुल्क के लिए डिजिटल भुगतान की व्यवस्था करेगा।

कोटेशन प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित नियम व शर्तों का पालन किया जाना चाहिए-

- संपत्ति के पट्टे की अवधि 3 वर्ष होगी। इसे GeM पोर्टल के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आपसी सहमति से तय शर्तों पर आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- परिसर का मालिक अवकाश गृह सुविधा के रूप में परिसर का उपयोग करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों/एसोसिएशन/सांविधिक निकायों से सहमति/अनुमति, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- जिस व्यक्ति के पास स्पष्ट विपणन योग्य अधिकार, शीर्षक हित यानी संपत्ति का पूर्ण स्वामी है, वह तत्काल ईओआई के संबंध में आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यदि संपत्ति स्थायी पट्टे पर है या प्रस्तावित संपत्ति आवेदन की तिथि से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए सक्रिय पट्टे पर है, तो सार्वजनिक निविदा जब भी GeM पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। संपत्ति को उप-पट्टे पर देने या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का उपयोग करने से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए पूरी जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। आईओसीएल ऐसे किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, यदि कोई हो।
- परिसर के मालिक के पास संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व/वास्तविक पट्टा समझौता होना चाहिए।
- परिसर के मालिक को आईओसीएल के साथ पट्टा या उप-पट्टा विलेख निष्पादित करने के लिए तैयार होना चाहिए।
- किराये में सभी मौजूदा और भविष्य के कर शामिल होने चाहिए, जैसे गृह कर, संपत्ति कर, नगरपालिका कर, रखरखाव शुल्क और सेवा शुल्क जैसे सोसायटी शुल्क आदि। मासिक किराए आदि के अलावा कुछ भी अतिरिक्त नहीं दिया जाएगा (टैक्स चालान प्रस्तुत करने पर प्रचलित दरों के अनुसार आईओसीएल द्वारा जीएसटी का भुगतान किया जाएगा)।
- आवेदकों को आईओसीएल के साइनबोर्ड लगाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
- किसी भी ब्रोकर/मध्यस्थ को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आईओसीएल बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को पूर्ण/आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- प्रत्येक आवेदक द्वारा प्रस्तावित सभी कमरे एक ही परिसर में होने चाहिए, यदि किसी आवेदक के पास एक से अधिक संपत्ति हो तो वे प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग से बोली लगा सकते हैं।
- 24 घंटे कक्ष सेवा, गर्म पानी की आपूर्ति, 24 घंटे बिजली बैकअप आदि उपलब्ध होना चाहिए।
- आईओसीएल बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी कोटेशन को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- भुगतान शर्तें: कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। भुगतान संबंधित महीने के पूरा होने के बाद जारी किए गए चालान के अनुसार मासिक आधार पर किया जाएगा।
- आईओसीएल के लिए कमरों का विशेष आरक्षण: आईओसीएल को दिए जाने वाले कमरे विशेष रूप से आईओसीएल के लिए आरक्षित होंगे और आईओसीएल मेहमानों की पुष्टि की गई बुकिंग के बावजूद अन्य मेहमानों को आवंटित नहीं किए जाएंगे। कमरों के लिए मासिक शुल्क का भुगतान सहमत दरों के अनुसार किया जाएगा। आईओसीएल के लिए उपलब्ध अधिभोग की संख्या कितनी भी हो और अनुबंध अवधि के भीतर सभी महीनों के लिए इसका भुगतान किया जाएगा।
- वैधानिक और अन्य करों/शुल्कों/कर्तव्यों की जिम्मेदारी: वैधानिक करों, हॉलिडे होम के रूप में प्रतिष्ठान के संचालन के लिए वाणिज्यिक शुल्क, बिजली शुल्क, जल शुल्क, अन्य करों/शुल्कों/शुल्कों/नगरपालिका करों/सीवरेज निपटान शुल्क आदि का भुगतान करना संपत्ति के मालिक की जिम्मेदारी होगी जो सुविधा के संचालन के लिए आवश्यक हो सकता है (जैसा लागू हो)। ऐसी सभी लागतें और व्यय पूरी तरह से मालिक के खाते में होंगे और उद्घृत मासिक शुल्क में ऐसी सभी नियमित और आकस्मिक लागतें व्यय और उपभोग्य वस्तुएं शामिल मानी जाएंगी।
- मासिक शुल्क: उद्घृत मासिक एकमुश्त शुल्क सभी कमरों (डेटा शीट में निर्दिष्ट कमरों की संख्या के अनुसार) के लिए प्रति माह जीएसटी को छोड़कर सभी समावेशी आधार पर होगा। जीएसटी चालान के आधार पर प्रचलित दरों के अनुसार जीएसटी का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। उद्घृत दर सभी समावेशी आधार पर होगी अर्थात् कमरे का किराया, सभी संबंधित सेवाएँ, हाउसकीपिंग, केयरटेकिंग, सुविधा प्रबंधन, पानी और बिजली के शुल्क, उपभोग्य वस्तुएँ, कमरे में सुविधाएँ, पूरक उपभोग्य वस्तुएँ, फर्नीचर, फिक्सचर और सुविधाएँ और इस ईओआई दस्तावेज़ में निर्दिष्ट अन्य सुविधाएँ / सेवाएँ शामिल हैं। भोजन का शुल्क सीधे मेहमानों से वसूला जाएगा। जहाँ तक संभव होए मालिक मेहमानों से उनके द्वारा देय शुल्क के लिए डिजिटल भुगतान की व्यवस्था की सुविधा प्रदान करेगा।
- विस्तार (यदि कोई हो) सहित तीन वर्ष की संपूर्ण पट्टा अवधि के लिए स्थिर रहेगी।

आवेदकों के उद्घरण प्रस्तुत करना-

इच्छुक पक्ष IOCL के निम्नलिखित वेबपेज से सीधे EOI दस्तावेज़ डाउनलोड कर सकते हैं: <https://www.iocl.com/suppliers-notice>। या इस संबंध में अनुरोध भेजकर ईमेल के माध्यम से EOI आमंत्रण प्राधिकरण के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं और अपने उद्घरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

वे पक्ष जो इस ईओआई में उल्लिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं और इस ईओआई के नियमों और शर्तों से सहमत हैं वे विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी अपनी कोटेशन (अनुलग्नक-1), आवेदक की प्रतिक्रिया (अनुलग्नक-2) और अस्वीकरण (अनुलग्नक-3), भेज सकते हैं। डाक/कूरियर के माध्यम से सीलबंद लिफाफे में ईओआई नंबर और लिफाफे पर लिखे विषय के साथ नीचे दिए गए पते पर 05/11/2024 @ 17:00 बजे तक भेजे।

उप महाप्रबंधक (ईएस), एनआरओ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
इंडियन ऑयल भवन, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, 1, श्री अरबिंदो मार्ग, यूसुफ सराय,
नई दिल्ली-110016 ईमेल आईडी: anaithan@indianoil.in

ऊपर बताई गई तिथि और समय के बाद प्राप्त ईओआई पर विचार नहीं किया जाएगा। आईओसीएल पारगमन/कूरियर/डाकघर आदि के माध्यम से प्रस्ताव के किसी भी नुकसान या समय पर आईओसीएल से किसी भी प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

सप्टीकरण-

यदि कोई हो, तो श्री अमन कुमार, प्रबंधक (ईएस) एनआरओ से ईमेल आईडी amank@indianoil.in या लैंडलाइन नंबर 011.26518080 मोबाइल नंबर 9403689225 पर प्राप्त किया जा सकता है।